छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-19

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014

(माघ-30, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित **15** तारांकित एवं **23** अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(1) अधिसूचना क्रमांक 49/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013,

(2) अधिसूचना क्रमांक 50/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 1 जून, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011,

(3) अधिसूचना क्रमांक 48/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 18 सितम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2013, तथा

(4) अधिसूचना क्रमांक 52/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही.सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013, **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.विमल चोपड़ा, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, संतोष बाफना, सदस्य ने जिला महासमुंद में क्षेत्रीय विधायक पर जानलेवा हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण संख्या 1 पर चर्चा के दौरान श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

डा.विमल चोपड़ा, सदस्य हमलावरों के विरूद्ध धारा 307 की कार्यवाही न किए जाने के विरोध में गर्भगृह में आये।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-गर्भगृह में आने के कारण डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए।

(डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य सभा के बाहर चले गए।)

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य के निलंबन को समाप्त करने की घोषणा की।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) सर्वश्री दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ विकासखंड अन्तर्गत झूरा नदी पर खातूटोला बैराज का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) श्री दिलीप लहरिया
(4) डॉ.विमल चोपड़ा
(5) डॉ.सनम जांगड़े

9. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमशः)

(1) श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 एवं समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, दलेश्वर साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अनिला भेंडिया,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती केराबाई मनहर, श्री मोहन मरकाम, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबधित मांग संख्या 76, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 एवं परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, दलेश्वर साहू, जनकराम वर्मा, गिरवर जंघेल, दीपक बैज, भोलाराम साहू, धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री रामदयाल उइके, गुरूमुख सिंह होरा, सियाराम कौशिक, बृहस्पत सिंह, लालजीत सिंह राठिया, मोहन मरकाम, **मांग संख्या-67 पर** सर्वश्री जनकराम वर्मा, भोलाराम साहू, धनेन्द्र साहू, रामदयाल उइके, मोहन मरकाम, दलेश्वर साहू **मांग संख्या-21 पर** सर्वश्री धनेन्द्र साहू, भूपेश बधेल, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रामदयाल उइके, अवधेश सिंह चंदेल, गुरूमुख सिंह होरा, दयालदास बघेल, कवासी लखमा, राजू सिंह क्षत्री, राजेन्द्र कुमार राय, संतोष बाफना,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, भोलाराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

डॉ.खिलावन साहू, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, गिरवर जंघेल, नवीन मारकण्डेय, बृहस्पत सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री लाभचंद बाफना, जनकराम वर्मा, (डॉ.) सनम जांगड़े, लखेश्वर बघेल, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्री सियाराम कौशिक, श्रीमती चंपादेवी पावले, श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती केराबाई मनहर, श्री अंबेश जांगड़े, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, अशोक साहू, सत्यनारायण शर्मा, मोहन मरकाम, अरूण वोरा, तोखन साहू, गोवर्धन सिंह मांझी।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 20 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा